संख्या-215/2015-3433/नौ-5-2015-197बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुबेहा (बाराबंकी), नगर पंचायत खानपुर, नगर पंचायत बुगरासी (बुलन्दशहर), नगर पंचायत पैंतेपुर, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद (सीतापुर), नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद (बुलन्दशहर), नगर पंचायत फतेहगंज (बरेली), नगर पालिका परिषद गुलावठी (बुलन्दशहर)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास' योजना' के अन्तर्गत नगर पंचायत सुबेहा (बाराबंकी), नगर पंचायत खानपुर, नगर पंचायत बुगरासी (बुलन्दशहर), नगर पंचायत पैंतेपुर, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद (सीतापुर), नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद (बुलन्दशहर), नगर पंचायत फतेहगंज (बरेली), नगर पालिका परिषद गुलावठी (बुलन्दशहर) के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में प्रस्तावित कार्यों की लागत रू0 274.80 लाख (रू दो करोड़ चौहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु रू0 137.40 लाख (रू0 एक करोड़ सैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	कार्य के विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	बाराबंकी	नगर पंचायत सुबेहा	गोमती नदी के पास मोहल्ला गढी में स्थित अन्त्येष्टि स्थल में बाउन्ड्रीवाल आदि के निर्माण के कार्य ।	30.00	15.00
2	बुलन्दशहर	नगर पंचायत खानपुर ।	चौहान समाज के श्मशान के घाट के विकास के कार्य ।	37.00	18.50
		नगर पंचायत बुगरासी	बुगरासी से कटीली ग्राम/भगवान पुर मार्ग पर श्मशान घाट के विकास का कार्य।	21.40	10.70
3	सीतापुर	नगर पंचायत पैंतेपुर	मौ0 डलईपुरवा वार्ड पुरानी बाजार में मुक्तिधाम शवदान स्थल पर लकड़ी स्टोर, दाह संस्कार प्लेटफार्म बाउन्ड्रीवाल व इण्टरलांकिंग का कार्य।	20.00	10.00

go samsan mangal font

		नगर पालिका परिषद महमूदाबाद	मोहल्ला अमीरगंज मुक्तिधाम स्थल पर लकड़ी विक्रय केन्द्र, दाह संस्कार प्लेटफार्म बाउन्ड्रीवाल व इण्टरलांकिंग का कार्य ।	32.00	16.00
4	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद जहाँगीराबाद	मोहल्ला रामगढी एवं मोहल्ला पाठक पूर्व में अन्त्येष्टि स्थल पर पाथ वे, लकड़ी स्टोर एवं बैठने का स्थान आदि के विकास कार्य।	21.50	10.75
5	बरेली	नगर पंचायत फतेहगंज	वार्ड नं0-5 मोहल्ला भिठौरा में अन्त्येष्टि स्थल पर बाउन्ड्रीवाल एवं धधूतरा आदि के विकास कार्य ।	37.40	18.70
6	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद गुलावठी	1. वार्ड नं0-10 रेलवे रोड पर श्मशान घाट के विकास का कार्य।	19.00	9.50
			2. वार्ड नं0-16 मो0 रामनगर में निकट मुंशी जी की पुलियां वाल अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण आदि विकास के कार्य।	36.50	18.25
			3. वार्ड नं0- 01 के मो0 भीमनगर में जाटवों के श्मशान घाट पर शवदाह गृह व यात्री शेड व दो कक्षों के निर्माण आदि विकास के कार्य।	20.00	10.00
			योग	274.80	137.40

(₹ एक करोड़ सैतीस लाख चालीस हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./ डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 05 जनवरी 2015 तथा 12 जून, 2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए इसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।
6. सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाय। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कान्टरेक्ट/डीजीएसएण्डडी की दरों पर ही किया जाय।
7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

go kumar mangal font

9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नही होगा ।

10. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

11. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

13. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

14. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ /लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक 2235 -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800 अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्तर्वेष्टि स्थलों का विकास-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-215/2015-3433/नौ-5-2015-197बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त लखनऊ, मेरठ, बरेली ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी/सीतापुर/ बरेली/ बुलन्दशहर।
4. कोषाधिकारी, बाराबंकी/सीतापुर/ बरेली/ बुलन्दशहर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत सुबेहा (बाराबंकी), नगर पंचायत खानपुर, नगर पंचायत बुगरासी (बुलन्दशहर), नगर पंचायत पैतेपुर, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद (सीतापुर), नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद (बुलन्दशहर), नगर पंचायत फतेहगंज (बरेली), नगर पालिका परिषद गुलावठी (बुलन्दशहर)।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

go sansan mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-30/06/2015

प्रेषण संख्या:- 215-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-215-2015-3433-9-5-2015-197B-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	7770000	7770000
		प्रगामी	13509000	13509000
2	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	1870000	1870000
		प्रगामी	26256000	26256000
3	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	2600000	2600000
		प्रगामी	4330000	4330000
4	बाराबंकी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	1500000	1500000
		प्रगामी	3029000	3029000
	योग	वर्तमान	13740000	13740000
		प्रगामी	47124000	47124000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सैंतीस लाख चालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ इकत्तर लाख चौबीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव